



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 2004/आषाढ़ 8, 1926

No. 112]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 2004/ASADHA 8, 1926

होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद्

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 जून, 2004

सं. 12-13/87-के.हो.प. (भाग-II).—भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 147 दिनांक 25 सितंबर, 2003 के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित होमियोपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) संशोधन विनियम, 2003 में निम्नलिखित शुद्धियों की जाती हैं, अर्थात् :—

1. विनियम 6 भाग (v) के अन्तर्गत, पृष्ठ 5 में, "प्रथम बी०एच०एम०एस०" के ऊपर "औषधि ऑर्गेनन तथा होम्योपैथिक दर्शन" के पश्चात् तथा "के सिद्धांत" से पूर्व 'एवं मनोविज्ञान' शब्दों को जोड़ा जाए ।
2. विनियम 6 के अन्तर्गत, औषधि ऑर्गेनन तथा होम्योपैथिक दर्शन के सिद्धांत विषय के नीचे, तृतीय बी०एच०एम०एस० शीर्षक के अन्तर्गत पृष्ठ 9 पर क्रमांक (II)(अ) 'स्टुअटि' को 'स्टुआटि' पढ़ा जाए एवं (II)(आ) में 'अमाशासम' को 'मात्राशास्त्र' पढ़ा जाए ।

3. विनियम 6 के अन्तर्गत, शरीर रचना विज्ञान विषय के नीचे, सैद्धान्तिक शीर्षक के अन्तर्गत,
- (क) पृष्ठ 14 पर क्रमांक III की तीसरी पंक्ति में 'तांत्रिकतंत्र' को 'तंत्रिकातंत्र' पढ़ा जाए ।
- (ख) पृष्ठ 16 पर क्रमांक IV(ई)(xii) की पहली पंक्ति में 'थायराइड' को 'थायराइड' पढ़ा जाए । साथ ही IV(उ)(i) पर दी हुई पंक्ति 'अर्थ-कार्यात्मकता के ।' को 'तानिका के कार्य' से प्रतिस्थापित किया जाए ।
4. विनियम 6 के अन्तर्गत, शरीर क्रिया विज्ञान - जैव रसायन सहित विषय के नीचे, पृष्ठ 17 पर अन्तिम पैरा की पहली पंक्ति में 'समायनुसार' को 'समयानुसार' पढ़ा जाए ।
- (क) पृष्ठ 18 पर, हृदय वाहिका तंत्र शीर्षक के नीचे क्रमांक 6 पर 'रायसानिक' को 'रसायनिक' पढ़ा जाए ।
- (ख) पृष्ठ 19 पर, श्वसन प्रणाली शीर्षक के नीचे क्रमांक 7 पर 'अल्पआक्सीयता' को 'अल्पआक्सीयता' पढ़ा जाए ।
- (ग) पृष्ठ 19 पर, श्वसन प्रणाली शीर्षक के नीचे क्रमांक 9 पर 'उच्च' को 'उच्च' पढ़ा जाए ।
- (घ) पृष्ठ 19 पर, पाचन तंत्र शीर्षक के नीचे क्रमांक 1 के अन्त में 'मूल्यांक्यात्मक महत्त्व' को 'वैकासिक सार्थकता' पढ़ा जाए ।
5. विनियम 6 के अन्तर्गत, होम्योपैथी भेषजी विषय के नीचे,
- (क) पृष्ठ 23 पर, विषय का पूर्वाभिमुखीकरण शीर्षक के अन्तर्गत,
- (i) 'का मौलिक इतिहास . . . नियमो सहित' को 'की नामावली तथा तदानुसार परिभाषिक शब्दावलियों के अनुसार उनका मौलिक इतिहास' पढ़ा जाय ।
- (ii) क्रमांक 8 पर 'उच्चारार्थ' को 'उपचारार्थ' पढ़ा जाए ।
- (iii) क्रमांक 10 को 'अन्य विज्ञानों के साथ भेषजी का सम्बंध' पढ़ा जाय ।

- (ख) पृष्ठ 24 पर, भाग-II के नीचे, मात्राशास्त्र शीर्षक के ऊपर वाले पैरा में 'उदु' को 'उर्दू' पढ़ा जाए एवं अंतिम पंक्ति में 'समान्य' को 'सामान्य' पढ़ा जाए ।
- (ग) पृष्ठ 24 पर, प्रयोगात्मक शीर्षक के नीचे, क्रमांक (1) पर 'होम्योपथी' को 'होम्योपैथी' पढ़ा जाए तथा पृष्ठ 24 पर, प्रयोगात्मक शीर्षक के नीचे, क्रमांक 2(III) में 'सूक्ष्मदर्शी' को 'सूक्ष्मदर्शी' पढ़ा जाए ।
6. विनियम 6 के अन्तर्गत, होम्योपैथिक मेडिसिन मेडिका विषय के नीचे, पृष्ठ 27 पर पैरा 3 की तीसरी पंक्ति में 'स्पष्टकीकरण' को 'स्पष्टीकरण' पढ़ा जाए । होमियोपैथिक मेडिसिन मेडिका शीर्षक के अन्तर्गत, पृष्ठ 28 पर, क्रम संख्या 5 की प्रथम पंक्ति में 'ट्यूटोरियल' को 'ट्यूटोरियल' पढ़ा जाए ।
7. विनियम 6 के अन्तर्गत, सामान्य विकृति विज्ञान तथा सूक्ष्मजैव विज्ञान विषय के नीचे,
- (क) पृष्ठ 34 पर, प्रथम पैरा की द्वितीय पंक्ति में 'राबर्ट' को 'रॉबर्ट' पढ़ा जाए ।
- (ख) पृष्ठ 35 पर, वर्णक चयापचय की व्याधा शीर्षक के नीचे चौथी पंक्ति में 'कार्बोहाइड्रेट' को 'कार्बोहाइड्रेट' पढ़ा जाए ।
- (ग) पृष्ठ 36 पर, अभ्यास शीर्षक के नीचे दूसरे पैरा में 'चेहरे' को 'मल' तथा 'शारीरिक' को 'भौतिक' पढ़ा जाए ।
8. पृष्ठ 38 पर गुर्दे मूत्राशय गवीनी (यूरेटर) मूत्रमार्ग के नीचे दूसरी पंक्ति में 'पायलोमेफ्राइटिस' को 'पाइलोमेफ्राइटिस' पढ़ा जाए ।
9. विनियम 6 के अन्तर्गत, शल्यक्रिया विषय के नीचे, पृष्ठ 47 शीर्षक अस्थि रोग के नीचे पहली पंक्ति में 'चोटों' को 'चोटों' पढ़ा जाए ।

10. विनियम 6 के अन्तर्गत शल्यक्रिया पाठ्यक्रम के परीक्षा शीर्षक में प्रश्न पत्र II में 'उदर शल्यक्रिया' को 'उदरीय शल्यक्रियायें' पढ़ा जाए ।
11. (क) विनियम 6 के अन्तर्गत, सामुदायिक आयुर्विज्ञान विषय के नीचे, पृष्ठ 51 पर क्रमांक 2(घ) की दूसरी पंक्ति में 'ट्राफिक' को 'ट्रापिक' पढ़ा जाए ।
(ख) विनियम 6 के अन्तर्गत पृष्ठ 51 'प्रयोगात्मक तथा नैदानिक परीक्षाएँ' के नीचे 'परीक्षार्थी एक केस प्रस्तुत करेगा तथा परीक्षक निम्न पर बल देंगे' — को जोड़ा जाय ।
(ग) विनियम 6 के अन्तर्गत पृष्ठ 52 पर 'रेपटरी' शीर्षक को 'रेपर्टरी' पढ़ा जाए तथा इसी शीर्षक के अन्तर्गत पृष्ठ 54 पर 'पुनर्निरीक्षण' को 'पुनर्निरीक्षण' पढ़ा जाए ।
12. विनियम 7 के अन्तर्गत, परीक्षा में प्रवेश, परीक्षा की प्रणाली इत्यादि शीर्षक के नीचे, क्रमांक (ii) पृष्ठ 54 पर '8वें' को '18वें' पढ़ा जाए ।
13. विनियम 10 के अन्तर्गत, चतुर्थ बी0एच0एम0एस0 परीक्षा शीर्षक के नीचे, क्रमांक (v) पृष्ठ 58 पर चौथी पंक्ति में 'पाठ्यक्रम' को 'पाठ्यक्रम' पढ़ा जाए ।
14. विनियम 11 के अन्तर्गत, परीक्षाफल और पुनः प्रवेश शीर्षक के नीचे,
(क) पृष्ठ 60 पर, पैरा (v) पर 'विषयसे' को 'विषय' पढ़ा जाए तथा 'अनुत्तीर्ण' को 'अनुत्तीर्ण' पढ़ा जाए ।
(ख) पृष्ठ 60 पर, पैरा (viii) को निम्न के साथ प्रतिस्थापित कर पढ़ा जाए अर्थात् :-

'विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकारी की इच्छानुसार अपवादभूत परिस्थितियों में छात्रों को अनुग्रह अंक दिये जा सकते हैं ।'

डॉ. ललित वर्मा, रजिस्ट्रार-सह-सचिव

[विज्ञापन III/IV/147/2004-असा.]

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 29th June, 2004

No. 12-13/87-CCH (Pt. II).— In the Notification No. 147 dated the 25th September, 2003 of the Central Council of Homoeopathy published in Part-III, Section 4 of Gazette of India Extraordinary, the following corrections are made in the English Version, namely –

1. In regulation 6 under Part (V), in the syllabus for Direct Degree Course, on page 69, the sign and word "& PSYCHOLOGY" may be added at the end in the heading "ORGANON OF MEDICINE AND PRINCIPLES OF HOMOEOPATHIC PHILOSOPHY", above the words "FIRST B.H.M.S".
2. In regulation 6, under Part (V), in the syllabus of ORGANON OF MEDICINE & PRINCIPLES OF HOMOEOPATHIC PHILOSOPHY, under (II) BHMS, under Section 1, on Page 73 in the heading "EVALUATION – EXAMINATION", the word "EXAMINATION" may be read as "EXAMINATION".
3. In regulation 6, under Part (V), in the syllabus of Anatomy, under the sub-heading of Neuro anatomy, on Page 84, in clause (e)(i), the word "Meanings" may be read as "Meninges".
4. In regulation 6, under Part (V), in the syllabus of HOMOEOPATHIC PHARMACY, on page 92, under Theory, in first para in Second line 'a' before the word "industry" may be read as "an".
5. In regulation 6, under Part (V), in the syllabus of HOMOEOPATHIC PHARMACY, on page-92, under Theory, at Part-1 the word "terminology's" may be read as "terminologies".
6. In regulation 6, under Part (v) in the syllabus of Homoeopathic Pharmacy, under Theory, at Part-1, on Page-93, in 4th line the word 'out' may be read as 'other'.
7. In regulation 6, under Part (V), in the syllabus of Homoeopathic Pharmacy, on Page 93, under Part II, under the heading of 'Homoeopathic Pharmacy in relation to', at (a) the word "on" may be read as "of".
8. In regulation 6, under Part (V), in the syllabus of Homoeopathic Pharmacy, on Page 94, under the heading 'PRACTICAL', at (2) (iii) the statement "Microscopic of two triturations of upto 3x potency" may be read as "Microscopic Study of two triturations upto 3x potency".

9. In regulation 6, under Part (V), in the syllabus of Homoeopathic Pharmacy, on Page 94, under 'PRACTICAL', at (4) the word "ethy 1" may be read as "ethyl".
10. In regulation 6, under part (V), in the syllabus of Homoeopathic Pharmacy, on Page 95, under the heading of 'PRACTICAL'; at (15) the word "manufacture" may be read as "manufacturing".
11. In regulation 6, under Part (V) in the syllabus of 'HOMOEOPATHIC MATERIA MEDICA', on Page 100, at 8(C), the word "Schuster's" may be read as "Schusler's".
12. In regulation 6, under Part (V) in the syllabus of "Pathology and Microbiology", on Page 111, under Practical; in the 1st paragraph, the word "aciedmeter" may be read as "acidometer" and thereafter the bracket may be closed.
13. In regulation 6, under Part (V), in the syllabus of "Pathology and Microbiology" on page 111, under Practical, in the 2nd paragraph, in the 2nd line, the word "faces" may be read as "faeces".
14. In regulation 6, under Part (V), in the syllabus of "Pathology and Microbiology", on Page 113, under "KIDNEY BLADDER URETER URETHRA", in the 2nd line, the word "Pyolonephritis" may be read as "Pyclonephritis".
15. In Regulation 6, under Part (V), on Page 116, in the syllabus of "FORENSIC MEDICINE AND TOXICOLOGY", in the 1st paragraph, in the 2nd line, after the word "are" and before the word "be" the word "to" may be added.
16. In regulation 6, under Part (V), on Page 116, in the syllabus of "FORENSIC MEDICINE AND TOXICOLOGY", under the heading of Medical Ethics, in the 3rd line the word "Malpractice's" and in the 4th line the word "legislation's" may be read as "Malpractices" and "legislations" respectively. In the same paragraph, in the last line the word "India" may be read as "Indian".
17. In regulation 6, under Part (V), on Page 116 in the syllabus of "FORENSIC MEDICINE AND TOXICOLOGY" under the heading of "Forensic Medicine", in the 2nd line mummification's" may be read as "mummification".
18. In regulation 6, under part (V), in the syllabus of "FORENSIC MEDICINE AND TOXICOLOGY", on Page 117 under the heading of "Medico-legal Post-mortem, in the last line of para, the word "ach" may be read as "each".
19. In regulation 6, under Part (V), in the syllabus of "PRACTICE OF MEDICINE", on under GENERAL GUIDANCE: THERAPEUTICS, on Page 121, in the 3rd para, in the last line, the word "PHOSPHRUS" may be read as "Phosphorus".

20. In regulation 6, under Part (V), in the syllabus of "PRACTICE OF MEDICINE", under the heading of GENERAL GUIDANCE: THERAPEUTICS, on Page 121 in the 5th para, the word "THERAPETUCIS" may be read as "THERAPEUTICS".
21. In regulation 6, under Part (V), in the syllabus of "SURGERY", on Page 125, the heading of "OPHTHAMOLOGY" may be read as "OPHTHALMOLOGY".
22. In regulation 6, under Part (V), in the syllabus of "SURGERY", under the heading of Management of Common SURGICAL PROCEDURE AND EMERGENCY PROCEDURES, on Page 126 at No. 8 the word "Hemorrhage" may be read as "Haemorrhage".
23. In regulation 6, under Part (V) in the syllabus of "SURGERY", on Page 126 under the heading of "EXAMINATION", in Paper-1, the word "Hemorrhage" may be read as "Haemorrhage".
24. In regulation 6, under Part (V) in the syllabus of "SURGERY", on Page 126 the heading of "EXAMINATION", in Paper-II the words "Abdominal Surgical", may be read as "Abdominal Surgeries".
25. In regulation 6, under Part (V) in the syllabus of GYNAECOLOGY & OBSTETRICS INCLUDING INFANT CARE on page 129, under PRACTICAL & CLINICAL EXAMINATION, in the 1st line the word "on" may be read as "one".
26. In regulation 6, under Part (V), in the syllabus of COMMUNITY MEDICINE on Page 131, under Preventive Medicine, at (a) in the 1st line the word "diseased" may be read as "diseases".
27. In regulation 6, under Part (V), in the syllabus of REPERTORY, on Page 132, under b, at 3 the word "terminology's" may be read as "terminologies".
28. In regulation 10, in clause (ii) at page 138, the word "First" coming between the word 'Fourth' and the nomenclature BHMS may be omitted.
29. The Note given at the end of these regulations may be read as under –

"Principal regulation were published in the Gazette of India, Part-III, Section 4 on 11.5.1983 and subsequent Corrigendum was published in the said Section of the Gazette on 6.2.1984."

Dr. LALIT VERMA, Registrar-cum-Secy.

[Advt. III/IV/147/2004-Exty.]